ज़कात

- नमाज़ के बाद इस्लाम का सबसे बड़ा रूक्न ज़कात है।
- ज़कात का मतलब है– पाकी और सफाई। जो शख़्स ख़ुदा की दी हुई दौलत में से ख़ुदा के बन्दों का हक़ नहीं निकालता, उसका माल नापाक है और माल के साथ उसका नफ़्स भी नापाक है।
- अल्लाह तआला ने ज़कात का फ़र्ज आएद करके हर शख़्स को इमतिहान में डाला है।
- हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) की वफ़ात के बाद जब अरब के कुछ क़बीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि0)ने उनसे इस तरह जंग की, जैसे इस्लाम के दुश्मनों से की जाती है, हालाँकि वे लोग नमाज़ पढ़ते थे, ख़ुदा व रसूल का इक़रार करते थे। इससे मालूम हुआ कि ज़कात के बिना नमाज़, रोज़ा और ईमान की शहादत सब बेकार है।
- हमने उनको इनसानों का पेशवा बनाया और वे हमारे हुक्म के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते थे। हमने वह्य के ज़रिए से उनको नेक काम करने, नमाज़ देने की तालीम दी और वे हमारे इबादतगुज़ार बन्दे थे। **(कुरआन, 21:73)**
- वे अपने लोगों को नमाज़ और ज़कात का हुक्म देते थे और वे अपने रब के नज़दीक पसन्दीदा थे। **(कुरआन, 19:55)**
- हज़रत मूसा (अलै0) ने अपनी क़ौम के लिए दुआ की कि ख़ुदाया! हमें इस दुनिया की भलाई भी दे और आख़िरत की भलाई भी। आपको मालूम है कि इसके जवाब में अल्लाह तआला ने क्या फ़रमाय? जवाब में कहा गया–

  मैं अपने अज़ाब में जिसे चाहूँगा घेर लूँगा, हॉलाकि मेरी रहमत हर चीज़ पर छायी है। मगर उस रहमत को मैं उन्हीं लोगो के हक़ में लिखूँगा जो मुझसे डरेंगे और ज़कतात देंने और आयतों पर इमान लाएँगे। **(कुरआन, 7:156)**
- और अल्लाह ने फ़रमाया कि ऐ बनी इसराईल ! अगर तुम नमाज़ पढ़ते और ज़कात देतेरहो और मेरे रसूलों पर ईमान लाओ और जो रसूल आएॅ उनकी मदद करो, और अल्लाह को अच्छा क़र्ज़ दो तो मैं तुम्हारी बुराइयॉ तुमसे दूर कर दूँगा।

  (कुरआन, 5:12)
- अल्लाह के रसूल (अल्ल0) से पहले आखिरी नबी हज़रत ईसा (अलै0) थे। उनको भी अल्लाह तआला ने नमाज़ और ज़कात का साथ–साथ हुक्म दिया, जैसा कि कुरआन की सूरा मरियम में है––

  अल्लाह तआला ने मुझे बरकत दी, जहाँ भी मैं हूँ मुझे हिदायत फ़रमाई कि नमाज पढ़ूँ और ज़कात देता रहूँ जब तक ज़िन्हा रहूँ। (कुरआन, 19:31)
- नमाज़ की पाबन्दी करो और ज़कात दो और रूकू करनेवालों के साथ रूकूअ करो (यानी जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ो) **(कुरआन, 2:43)**

- नेकी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि पूरब या पश्चिम की ओर तुमने मुँह कर लिया, बल्कि नेकी उस शख़्स की है जिसने अल्लाह और आखिरत और फ़रिश्तों और ख़ुदा की किताबों और पैगम्बरों पर ईमान रखा और अल्लाह की मुहब्बत में अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफ़िरों और मॉगनेवालों पर अपना माल ख़र्च किया, और (लोगों को क़र्ज़ या गुलामी या क़ैद से) गरदनें छुड़ाने में मदद दी और नमाज़ की पाबन्दी की और ज़कात अदा की। और नेक लोग वे हैं जो वादा करने के बाद अपने वादे को पूरा करनेवाले हों और मुसीबत और नुकसान और जंग के मौके पर सब्र के साथ हक़ की राह पर डट जाएँ। ऐसे ही लोग सच्चे मुसलमान हैं और ऐसे ही लोग मुत्तक़ी व परहेज़गार हैं। **(कुरआन, 2:177)**
- मुसलमानों! तुम्हारे सच्चे दोस्त और मददगार सिर्फ अल्लाह, रसूल और ईमानदार लोग जो नमाज़ पढ़ते और ज़कात देते और ख़ुदा के आगे झुकते हैं। फिर जो शख़्स अल्लाह और रसूल और इमानदार लोगों को दोस्त बनाए, वह अल्लाह की पार्टी का आदमी है और अल्लाह की पार्टी ही छा जाने वाली है। (कुरआन, 5:55–56)
- फिर अगर वे कुफ्र व शिर्क से तौबा करें, ईमान ले आएँ और नमाज़ पढ़े और ज़कात दें तो वे तुम्हारे दीनी भाई हैं। (कुरआन, 5:55–56)
- मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक–दूसरे के मुहाफ़िज व मददगार हैं, और इन मोमिन मर्दों और औरतों की ख़ूबियाँ ये हैं कि वे नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, ज़कात देते हैं और ख़ुदा और रसूल की इताअत करते हैं, ऐसे ही लोगों पर अल्लाह रहमत करेगा। (कुरआन, 9:71)
- ईमान, नमाज़ और ज़कात ये तीन चीजें मिलकर ईमानवालों की जमाअत(पार्टी) बनाती है।
- अल्लाह ज़रूर उनकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेंगे। और अल्लाह ज़बरदस्त ताक़तवाला और सबपर ग़ालिब है। ये वे लोग हैं जिनको अगर हम जमीन में हुकूमत दें तो वे नमाज़ क़ायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे ओर सब चीज़ो का अंजाम ख़ुदा के हाथ में है। (कुरआन, 22:40–41)
- तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और अख़िरत का इनकार करनेवाले हैं। (कुरआन, 41:6–7)

<u>जकात की हक़ीक़त</u>

- तुम नेकी के दर्जे को नहीं पा सकते जब तक वे चीजें ख़ुदा की राह में कुरबान न करो जिनसे तुमको मुहब्बत है। **(कुरआन, 3:92)**
- जो लोक दिल की तंगी से बच गए, वही फ़लाह पाने वाले हैं। **(कुरआन, 59:9)**
- तुममें से जो बड़े और खाते–पीते लोग हैं वे अपनी अज़ीजों, मिसकीनों और ख़ुदा की राह में हिजरत करनेवालों की मदद से हाथ न खींच लें, बल्कि चाहिए कि उनको माफ़ करें और दरगुज़र करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख़्शें ? हालॉकि अल्लाह बड़ा बख़्शनेवाला और रहम करनेवाला है। **(कुरआन, 24: 22)**
- सिर्फ ख़ुदा की मुहब्बत में मिसकीन और यतीम और क़ैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ ख़ुदा के लिए तुम्हे खिला रहे हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहते।
- ऐ ईमानवालो! तुमने जो माल कमाए हैं और जो रोज़ी तुम्हारे लिए हमने ज़मीन से निकाली है, उसमें से अच्छा माल ख़ुदा की राह में ख़र्च करो। बुरे से बुरा छाँटकर मत दो। (कुरआन, 2:267)
- ऐ ईमानवालो ! अपनी ख़ैरात को एहसान रखकर और तकलीफ पहुँचाकर बेकार न कर दो उस आदमी की तरह जो सिर्फ़ लोगों को दिखाने और नाम चाहने के लिए ख़र्च करता है और अल्लाह और आख़िरत पर ईमान नहीं रखता है।

  (कुरआन, 2:267)

- जो लोग सोना और चाँदी जमा करके रखते हैं और उसे ख़ुदा की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें सख़्त सज़ा की ख़बर दे दो। (कुरआन, 9:34)
- मुसाफ़िक़ मर्द और मुनफ़िक़ औरतें सब एक थैली के चट्टे–बट्टे है, वे बुराई का हुक्म देते हैं और नेकी से मना करते हैं ओर ख़ुदा की राह में माल ख़र्च करने से हाथ रोकते हैं। वे खुदा को भूल गए और ख़ुदा ने उनको भुला दिया, बेशक यह मुनाफ़िक और फ़ासिक़ है। (कुरआन, 9 :67)
- तुम लोग ऐसे हो कि जब तुमसे ख़ुदा की राह में ख़र्च करने के लिए कहा जाता है, तो तुममें से बहुत से लोग कंजूसी करते हैं और जो इस काम में कंजूसी करता है वह ख़ुद अपने ही लिए कंजूसी करता है। अल्लाह तो ग़नी है। तुम ही उसके मुहताज हो। अगर तुमने ख़ुदा के काम में ख़र्च करने से मुहँ मोड़ा तो वह तुम्हारी जगह दूसरी क़ौम को ले आएगा और तुम जैसे न होंगे। (कुरआन, 47: 38)
- तुम जो सूद देते हो इस गरज़ के लिए कि यह लागों की दौलत बढ़ाए , तो असल में अल्लाह के नज़दीक इससे दौलत बढ़ती अलबत्ता जो ज़कात तुम सिर्फ अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए देते हो, वह दुगुनी–चौगुनी होती चली जाती है।

  (कुरआन, 30:39)

- खड़े और बैठे और लेटे अल्लाह की याद में लगे रहो और अल्लाह को बहुत याद करो, ताकि तुमको फ़लाह नसीब हो। (कुरआन, 4:103)
- यह कुरआन अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। यह उन परहेज़गार लोगो को जिन्दगी का सीधा रास्ता बताता है जो ग़ैब पर ईमान रखते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं और जो रोज़ी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं। (कुरआन, 2:2–3)
- तुम नेकी का दर्जा पा ही नहीं सकते जब तक कि अल्लाह को राह में वे चीजें ख़र्चन करो जिनसे तुमको मुहब्बत है। (कुरआन, 3:92)
- शैतान तुमको डराता है कि ख़र्च करोगे तो फक़ीर हो जाओगे वह तुम्हें शर्मनाक चीज़ यानी कंजूसी की तालीम देता है। (कुरआन, 2:268)
- ऐ लोगो की ईमान लाए हो ! अपनी खैरात को एहसान जताकर और तकलीफ देकर उस आदमी की तरह बरबाद न करो जो लोगों के दिखावे के लिए ख़र्च करता है और अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। उसके ख़र्च की मिसाल तो ऐसी है जैसे एक चट्टान पर मिट्टी पड़ी हो और उसपर जोर का मेंह बरसे तो सारी मिट्टी बह जाए और बस साफ़ चट्टान की चट्टान रह जाए।
- ऐ ईमानवालों ! जो कुछ तुमाने कमाया है और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला है उसमें से अच्छा माल अल्लाह की राह में दो, यह न करो कि अल्लाह की राम में देने के लिए बुरे से बुरा तलाश करने लगो। (कुरआन, 2:267)
- अगर खुल तरीक़े से ख़ैरात करो तो यह भी अच्छा है, लेकिन अगर छिपाकर ग़रीब लोगो को दो तो यह तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है और इससे तुम्हारे गुनाह धुलते हैं। (कुरआन, 2:271)
- अपने माल, जिनको अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़िन्दगी बसर कने का ज़रिया बनाया है, नादान लोगों के सुपुर्द न करो, अलबत्ता इन मालों में से उनको खाने और पहनने के लिए दो। (कुरआन, 4:5)
- और अगर क़र्जदार तंगदस्त हो तो उसे ख़ुशहाल होने तक मौका दो और सदक़ा कर देना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम उसका फ़ायदा जानो। (कुरआन, 2:280)
- पूछते हैं कि हम क्या खर्च करें ? ऐ नबी कह दो जो ज़रूरत से ज्यादा हो। (कुरआन,2:219)
- अल्लाह के नेक बन्दे वे हैं कि जब ख़र्च करें तो न फ़जूलखर्ची करें और न बहुत तंगी कर जाएँ, बल्कि उनका तरीक़ा इसके बीच में हो। (कुरआन, 25:67)
- अपने गरीब रिश्तेदार को उसका हक़ दो और मिसकीन को और मुसाफ़िर को। (कुरआन, 17:26)

- और नेक वह है जो अल्लाह की मुहब्बत में माल दे अपने गरीब रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों को और मुसाफ़िर को और ऐसे लोगों को जिनकी गरदनें गुलामी और कैद में फ़ँसी हों। (कुरआन,2:177)
- नेक बरताव किया जाए अपने माँ–बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और गरीबों और करीब के पड़ोसायों और अजनबी पड़ोसियों और पास बैठनेवालों और मुसाफिरों और लौंडी और गुलामों से। (कुरआन, 4:36)
- और नेक लोग अल्लाह की मुहब्बत में मिसकीन और यतीम और क़ैदी को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको सिर्फ़ ख़ुदा के लिए खिला रहे हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहतें। हमको तो अपने खुदा से उस दिन का डर लगा हुआ है जिसकी शिद्दत की वजह से लोगों के मुँह सिकुड़ जाएँगे और त्यौरियाँ चढ़ जाएँगी (यानी क़ियामत)। (कुरआन,76:8–10)
- और उनके मालों में हक है मदद माँगनेवालों का और उस शख़्स का जो महरूम हो। (कुरआन, 51:19)
- ख़ैरात उन ज़रूरतमंदों के लिए है जो अपना सारा वक़्त ख़ुदा के काम में देकर ऐसे घिर गए हैं कि अपनी रोटी के लिए दौड़–धूप नहीं सकते। उनकी ख़ुद्दारी को देखकर न जाननेवाले लोग गुमान करते हैं कि मालदार हैं मगर उनकी सूरत देखकर तुम पहचान सकते हो कि उनपर क्या गुज़र रही है। उनको ख़ुद जाकर दो, क्योंकि वे ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों से लिपट लिपट लिपटकर माँगते फिरें। उनको ढ़ाँक–छिपाकर जो कुछ भी ख़ैरात दोगे, अल्लाह को उसकी ख़बर होगी और उसका बदला देगा। (कुरआन,2:273)

- यह इस्लाम का तीसरा रूकून (स्तम्भ) है। ज़कात का मतलब यह है कि जिस मुसलमान के पास एक निर्धारित मात्रा में माल व दौलत हो वह हर साल हिसाब लगाकर अपने उस माल का चालीसवां हिस्सा गरीबों पर या नेकी की दूसरी बातों पर खर्च किया करे जो ज़कात के ख़र्च के लिए अल्लाह और उनके रसूल ने मुक़र्रर की हैं।
- **अल्लज़ी न युक़ीमूनस्सला त व युतूनज़्ज़का त**
  – वह नमाज़ क़ायम करते हैं और ज़कात देते हैं।
- सूरए रूम की आयत में फ़रमाया गया है कि :–
  अक़ीमुस्सला त वला तकूनू मिनल मुश्रिकीन (अर्रूम–रूकु 4)
  नमाज़ क़ायम करो और (नमाज़ छोड़कर) मुश्रिकों में से न हो जाओ।
  और ज़कात न देने को मुश्रिकों व काफ़िरों की सिफ़त सूरए फ़ुस्सिलत की इस आयत में बताया गया है :–
  व वैलुल्लिल मुश्रिकीनल्लज़ी न ला यूतूनज़्ज़का त वहुम बिल आख़ि रति हुम काफ़िरून (फ़ुस्सिलत रूकू–1)
  उन मुश्रिकों के लिए बड़ी ख़राबी है उनका अंज़ाम बहुत बुरा होने वाला है जो ज़कात अदा नहीं करते और वह आख़िरत का इनकार कने वाले और काफिर हैं।

- सूरए तौबह रूकू–5
  और जो लोग सोना चॉदी (माल दौलत) जोड़कर रखते हैं और उसको ख़ुदा के रास्ते में ख़र्च नहीं करते अर्थात उन पर जो ज़कात फर्ज है, उसको अदा नहीं करते। ऐ रसूल तुम उनको दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दो, जिस दिन तपाया जाएगा उनकी इस दौलत को दोज़ख की आग में फिर दाग़े जायेंगे उससे उनके माथे उनकी करवटें और पीठे (और कहा जायेगा) यह है कि वह माल जिसको तुमने जोड़ा था अपने लिये तो मज़ा चखो अपनी जोड़ी हुई दौलत का।

  हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीस में भी फरमाई है कि–
  जिस व्यक्ति के पास सोना चॉदी (धन और दौलत) हो और वह उस माल का हक अदा न करे अर्थात ज़कात आदि न दे, तो क़यामत के दिन उसके लिए आग की तख़तियाँ तैयार की जायेंगी। फिर उनको दोज़ख़ की आग में और अधिक तपाकर उनसे इस व्यक्ति के माथे को, करवट को और पीठ को दाग़ा जाएगा और इसी प्रकार बार बार उन तख़तियों को दोज़ख़ की आग पर तपाकर उस व्यक्ति को दाग़ा जाता रहेगा और कयामत के दिन की पूरी मुद्दत में इस अज़ाब(दण्ड) का सिलसिला (क्रम) जारी रहेगा और यह मुद्दत पचास हजार साल की होगी(तो इस तरह पचास हजार साल तक उसको यह सख़्त और दर्दनाक अज़ाब दिया जाता रहेगा)।

- **सूरए बक़रह रूकू–36**

जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करते हैं, उनके इस खर्च करने की मिसाल उस दाने की सी है, जिससे पौधा उगे और उसमें सात बालें निकलें हर बाल में सौ दाने हों। और अल्लाह बढ़ाता है जिसके लिए चाहें, वह बड़ी वुसअत (अधिकता) वाला है और सबकुछ जानता है। जो लोग अपना माल ख़ुदा के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर न वह अपना एहसान जताते हैं और न ही दुख पहुँचातें है उनके लिए उनके रब के पास बड़ा सवाब है और उन्हें (कयामत में) न कोई डर होगा और न वह दुखी होगें।

अबू दाऊद शरीफ़ में भी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया –

''तीन बातें हैं जिस व्यक्ति ने उनको अपना लिया उसने ईमान का मज़ा पा लिया। एक यह कि केवल अल्लाह की इबादत करें और दूसरे यह कि ''ला इला ह इल्लल्लाह'' पर उसका सच्चा ईमान और य़कीन हो और तीसरे यह कि हर साल दिल की पूरी ख़ुशी के साथ अपने माल और अपनी दौलत (सम्पत्ति) की ज़कात अदा करे (तो जिसको यह तीन बातें प्राप्त हो जायें उसको ईमान का असली मज़ा और उसकी चाशनी मिल जायेगी''।

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :–

'' अल्लाह तआला का आदेश है ए आदम की औलाद (तू मेरे ग़रीब मोहताज बन्दों पर और भलाई के दूसरे भले कामों में) मेरा दिया हुआ माल खर्च किये जा मैं तुझको बराबर देता रहूँगा''।

दूसरी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :–

'' मैं इस बात पर क़सम ख सकता हूँ कि सदक़ा(दान) करने के कारण कोई व्यक्ति ग़रीब और मोहताज न होगा''।

रोज़ह

इस्लाम की बुनियादी तालीमात (शिक्षाओं) में ईमान, नमाज़ और ज़कात के बाद रोज़े का दर्जा है। कुरआन शरीफ में फरमाया गया है।

सूरए बक़रह रूकू–23

या अय्यु हल्लज़ी न आ मनू कुति ब अलै कुमुस्सियामु कमा कुति ब अलल्लज़ी न मिन क़बलि कुम कुम लअल्लकुम तत्तकून ।

ऐ ईमान वालों! तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज किया गया है जैसे कि तुम से पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम में तक़्वे (अल्लाह से डरने) की सिफ़त (गुण) पैदा हो।

मामलात में सच्चाई व ईमानदारी और पाक कमाई तथा दूसरे बन्दों के हुकूक की अहमितय।

सूरए बक़रह रूकू–23
ऐ ईमान वालो तुम किसी ग़लत और नाज़ायज ढ़ंग से दूसरों का माल न खाओ।

सू रए–ततफ़ीफ़–

उन कम देने वालों के लिये बड़ी तबाही और बड़ा अज़ाब है जो दूसरे लागों से जब ना ख़ुद दूसरों के लिए नापते या तोलते हैं तो कम देते हैं। क्या उनको यह ख़्याल नहीं है कि वह एक बहुत बड़े दिन उठाये जायेंगे जिस दिन कि सारे लोग जज़ा और सज़ा (प्रतिफल और दण्ड) के लिये सारे संसार के रब (पालन हार) के सामने हाज़ि होंगे।

दूसरो के क और दूसरों की अमानतें अदा करने के लिए ख़ास तौर पर हुक्म दिया गया है।

सूरतुन्निसा रूकू–8

अल्लाह तआला तुमको यह हुक्म देता है कि जिन लोगो की जो अमानतें और हक तुम पर हों उनको ठीक–ठीक अदा करो।

एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमाया है – ''मुनाफिक की तीन पहचानें है–– झूठ बोलना, अमानत में ख़यानत करना और वादा पूरा न करना''।

सूद ब्याज के बारे में तो मशहूर हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया ने :–

'' अल्लाह की लानत (शाप) हो सूद के लेने वाले पर देने वाले पर और सूदी दस्तावे़ज लिखने वाले पर और उसके गवाहों पर''। और इसी तरह रिश्वत (घूस)के बारे में हदीस शरीफ़ है कि –

'' रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत फ़रमाई है कि रिश्वत के लेने वाले पर और देने वाले पर''

एक हदीस में है कि–

''जिस शख़्स ने किसी की ज़मीन के कुछ भी हिस्से पर नाज़ायज क़ब्जा कर लिया तो क़यामत के दिन उसको यह अज़ाब दिया जायेगा कि ज़मीन के उस टुकडे के साथ उसको ज़मीन में धंसा दिया जायेगा यहॉ तक कि सबसे नीचे के हिस्से तक धंसता चला जायेगा''

एक और हदीस में है कि –

''जिस शख्स ने (शासक के सामने) झूठी क़सम खाकर किसी मुसलमान की किसी चीज़ को नाजायज़ ढंग से हासिल कर लिया तो अल्लाह ने उसके लिए दोज़ख़ की आग वाजिब (अनिवार्य) कर दी है और जन्नत उसके लिये हराम कर दी है। यह सुनकर किसी ने कहा – ऐ अल्लाह के रसूल! चाहें वह छोटी से चीज़ हो ! आपने फरमाया कि हां, चाहे वह पीलू के जंगली पेड़ की टहनी ही क्यों न हो''

एक और हदीस में है कि –रसूल(सल्ल0) ने एक मुकदमेंबाज़ को आगाह(सचेत) करते हुए फरमायाः–

''देखो जो शख़्स झूठी क़सम खाकर किसी दूसरे का कोई भी माल नाजाय़ज ढ़ंग से हासिल करेगा वह क़यामत में अल्लाह के सामने कोढ़ी होकर पेश होगा''।

झूठी गवाही के बारे में एक हदीस में है कि –

''हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन सुबह की नमा़ज पढ़कर खड़े हो गये और अपने एक ख़ास अन्दाज में तीन बार फ़रमाया कि झूठी गवाही शिर्क (ख़ुदा के लिए साझी ठहराना) के बराबर कर दी गई है''।

एक और हदीस में है कि –

'' जो शरीर हराम धन से पला हो वह जन्नत में न जा सकेगा''

एक और हदीस में है कि –

''यदि कोई शख़्स अल्लाह की राह में शहीद हो जाये तो उसकी शहादत के तुफ़ैल (माध्यम से) उसके सब गुनाह माफ़ कर दिये जायेगें लेकिन यदि किसी का उधार उसके ऊपर बाकी है तो उसके इस उधार का बोझ़ उसकी शहादत भी न उतार सकेगी''।

माँ बाप के हुकूक और उनका अदबः–

व क़ज़ा रब्बु क अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। इम्मा यबलुग़न न इनदकल कि ब र अ ह दुहूमा औ किलाहुमा फ़ला तकुल्लहुमा उफ़फ़िंव वलातनहर हुमा व कुल्लहुमा क़ौलन करीमा। वख़फ़िज़ लहुमा जनाहज़्जुल्लि मिनर्रह मति व कुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। (सू रए बनी इसराईल, रूकू–3)

''और तेरे रब ने अटल हुक्म दिया है कि उसके सिवा तुम किसी की इबादत और बन्दगी न करो और माँ–बाप के साथ अच्छाई करो अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनको ऊंह भी न कहो और उनको न झिड़को और उनसे अदब व तमीज़ और छोटे बनकर और ख़ाकसारी के साथ उनका

कहना मानो और उनके लिए खुदा से इस तरह दुआ करते रहो कि ऐ परवरदिगार तू इनपर रेहमत कर जैसे उन्होने मुझको बचपन में प्यार व मुहब्बत से पाला पोसा।''

कुरआन शरीफ की दूसरी आयत में –

''अगर मानलो किसी के माँ–बाप काफ़िर व मुश्रिक हों और वह औलाद पर भी कुफ्र व शिर्क के लिए दबाव डालें तो औलाद को चाहिए कि उनके कहने से कुफ्र व शिर्क तो न करें लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छा बरताव और उनकी ख़िदमत करती रहे।''

''मॉ–बाप की खुशी में अल्लाह की रज़ामन्दी है और मॉ–बाप की नाराज़ी में अल्लाह की नाराज़ी है''

आप (स0) ने फरमाया है:–

''औलाद की जन्नत और दोज़ख माँ–बाप है'' (यानी उनकी ख़िदमत करने से जन्नत मिल सकती है और उनका कहना न मानना और उनके साथ अच्छा बरताव न करना दोज़ख में ले जाने वाला है)।

एक और हदीस में है आप (स0) ने फरमाया है कि –

''माँ–बाप की ख़िदमत और उनका कहना पूरा करने वाला लड़का या लड़की जितनी बार भी मुहब्बत और अज़मत (सम्मान) की नज़र से माँ–बाप की तरफ़ देखेगा तो अल्लाह तआला उसके हर देखने के बदले में एक मकबूल हज का सवाब उसके लिए लिख देते हैं''।

एक हदीस में है कि :–

''जन्नत मॉ बाप के पांच के नीचे है''

एक और हदीस में है कि हुजूर (स0) ने सहाबए किराम (महान सतसंगियों) को सबसे बड़े गुनाह यह बतलाये :–

'' किसी को अल्लाह का शरीक (साझी) ठहराना, माँ–बाप का कहना न मानना और झूठी गवाही देना''

''तीन किस्म के आदमी हैं जिनकी तरफ़ अल्लाह तआला क़यामत के दिन रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। उनमें से एक किस्म वह लोग हैं जो माँ–बाप का कहना पूरा नहीं करते है''।

औलाद के हुकूक :

ऐ ईमान वालो ! अपने आपको और अपने बाल–बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओं। औलाद की अच्छी तरबियत (दीक्षा) और देख–रेख की बड़ाई रसूलुल्लाह (स0) ने एक हदीस में इस तरह बयान की है–

''बाप की तरफ से औलाद के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा अतीया (उपहार) नहीं है कि वह उनकी अच्छी तरबीयत करे''।

''जिस शख़्स के बेटियॉ या बहने हों और वह उनके साथ बहुत अच्छा बरताव करे और उनको अच्छी तरबियत दे और (उचित स्थान पर) उनकी शादी करे तो अल्लाह तआला उनको जन्नत देगा''।

मियाँ–बीवी के हुकूक –

यह नेक औरतें फ़र्माबरदार (आज्ञाकारी) होती हैं और मियाँ के मौजूद न होने पर उनकी अमानत की हिफ़ाजत करती है। (सू रए अन्निसा रूकू–6)

कुरआन शरीफ़ में है कि :–

बीवियों के साथ अच्छा बरताव रखो– (सूरतुन्निसा रूकू–6)

इस सिलसिले में कुछ हदीसें यह है कि –

एक बार आपने औरतों को हिदायत देते हुए फरमाया :

'' जो शख़्स अपनी बीवी को अपने पास बुलाये और वह न आए और वह शख़्स रात को उससे नाराज़ रहे तो फ़रिश्ते सबेरे तक उस पर लानत करते हैं''

और इसके विरूद्व एक दूसरी हदीस में हुजूर (स0) ने इरशाद फ़रमाया –

'' जो औरत इस हालत में मरे कि उसका शैहर उससे ख़ुश रहा हो तो वह जन्नत में आयेगी''।

''कसम उसकी जिसके क़ब्जे में मुहम्मद की जान है कोई औरत अल्लाह का हक़ उस समय तक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने शौहर का हक़ अदा न कर दे''।

एक और खास मौके पर मुसलमानों के बहुत बड़े मजमें में ख़ास कर मर्दों को सुनाते हुए आपने फरमाया –

''मैं तुमको औरतों के साथ अच्छे बरताव की ख़ास तौर से वसीयत करता हूॅ कि तुम मेरी इस वसीयत को याद रखना। देखो वह तुम्हारी मतिहत (अधीन) हैं और तुम्हारे बस में है।

'' तुम में अच्छे वह है जो अपनी बीवियों के लिए अच्छे है''।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया –

'' मुसलमानों में पूरे ईमान वाले वह है कि जिनके साथ अख़लाक(स्वभाव) अच्छे हों और अपनी घर वालियों के साथ जिनका बरताव नर्मी और मुहब्बत का हो''।

<u>दूसरे रिश्तेदारों के हुकूक –</u>

हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

''क़राबत (नातेदारी) के हक़ को पैरों से रौदने वाला और अपने बरताव में रिश्तों नातों का ख़्याल न रखने वाला जन्नत में नहीं जाएगा''।

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया कि–

तुम्हारा जो नातेदार तुमसे सम्बन्ध और नाता तोड़ने का बरताव करे और नातेदारी का हक अदा न करें तो तुम उससे ताल्लुक न तोड़ो। अपनी तरफ से तुम उसकी नातेदारी का हक़ अदा करते रहो।

<u>अमानतदारी–</u>

अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतें (धरोहर) उनके मालिकों को ठीक–ठीक अदा करो।

<u>इन्साफ :–</u>

अल्लाह तआला इन्साफ करने का और एहसान करने का हुक्म देता है।

और किसी क़ौम की दुश्मनी तुमको इस गुनाह पर तैयार न कर दे कि तुम उसके साथ न्याय न करो। तुम हर हाल में सब के साथ इन्साफ करो। परहेज़गारी की शान के लिए यही ज़्यादा मुनासिब है।

<u>आजिजी व इन्किसारी (नम्रता, विनय)</u>

रहमान के ख़ास बन्दे वही हैं जो ज़मीन पर आजिजी के साथ (विनय पूर्वक) चलते हैं।

<u>सब्र और बहादुरी–</u>

कुरआन शरीफ़ की यह ख़ुशख़बरी है कि अल्लाह के प्यारे है। और अल्लाह सब्र वालो से मुहब्बत रखता है। अल्ला यकीनन सब्र वालों के साथ है।